

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प.14(6)विविध/गृह-10/2024

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

परिपत्र

यह कि राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प.(16)(19)(1)विविध/अभि/2020 जयपुर, दिनांक 24.01.2025 के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 20 की उप-धारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक निदेशक अभियोजन (राय हेतु सृजित पद) के कार्यों का विभाजन किया है।

इस विभाग के पूर्व में जारी किए गए आदेश/परिपत्र एवं अभियोजन निदेशालय के परिपत्र क्रमांक सं.3(16)4/विविध/अभि/08/9623-65 दिनांक 06.09.2012 को अधिष्ठित करते हुए, यह आदेशित किया जाता है कि जिला स्तर पर सृजित सहायक निदेशक अभियोजन (राय हेतु सृजित पद), पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्तगण द्वारा अनुसंधान के दौरान या अनुसंधान के पश्चात् या अन्य किसी अन्य बिन्दु पर राय चाहने पर, राय प्रदान करे।

आज्ञा से,

(रवि शर्मा)

शासन सचिव गृह (विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रैंज, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
7. समस्त अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
9. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
10. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन (राय हेतु सृजित पद), राजस्थान।
11. संस्थापन राजपत्रित शाखा, अभियोजन निदेशालय।

शासन सचिव गृह (विधि)

Document certified by RAVI SHARMA
<sharma.ravirhjs@gmail.com>.

Digitally Signed by RAVI

SHARMA

Designation: Secretary

Date :03-02-2025 05:56:15